



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3565]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941

No. 3565]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3957(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.832(अ) तारीख 03 नवंबर, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, क्रम संख्या (1) के समक्ष कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली।”

2. यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 5/20/2019-ग-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.नि.832(अ) तारीख 03 नवंबर, 2015 के तहत प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् का.आ.1556 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2016 को संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3957(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published *vide* number G.S.R 832(E), dated the 3rd November, 2015, in the said notification, against serial number (1), in column (2), for the entry , the following entry shall be substituted, namely:-

“States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union territories of Chandigarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and National Capital territory of Delhi.”.

2. This notification shall come into force with effect from 31st October, 2019.

[F. No. 5/20/2019-C-CL-V]

K.V.R.MURTY, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G.S.R. 832(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended *vide* number S.O. 1556(E), dated the 26th April, 2016.